संख्याः 1152 /43–2–2007

प्रेषक,

शंभु नाथ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश ।
2–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश ।
3–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश ।

प्रशासनिक सुधार अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः 20 मई, 2007

विषयः– **कार्यालयों मे अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा समयशीलता सुनिश्चित किया जाना।**

महोदय,

विदित है कि वर्तमान शासन "सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय" सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास रखता है । जन सामान्य को बेहतर सुविधाएँ प्रदान करने, भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने तथा शासकीय कार्यों को समय सीमा के अन्तर्गत निस्तारित किए जाने के लिए शासन प्रतिबद्ध है । शासन की इस प्रतिबद्धता के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक शासकीय सेवक/अधिकारी नियमित रूप से कार्यालय निर्धारित समय से आकर मनोयोगपूर्वक अपने पटल के कार्यों का समयबद्ध निस्तारण करें । कार्यालय अवधि के मध्य अनावश्यक रूप से कार्यालय न छोड़े व अपना शासकीय कार्य निवास स्थान से या अन्य स्थान पर न करें । उनसे यह भी अपेक्षित है कि वे अपने तैनाती के मुख्यालय पर ही निवास करें ।

2. उपरोक्तानुसार समयशीलता सुनिश्चित करने हेतु सभी जिलाधिकारी, मण्डलायुक्त,विभागाध्यक्ष व शासन के अधिकारियों से अपेक्षित है कि वे अधीनस्थ कार्यालयों का आकस्मिक निरीक्षण कर दोषीगण के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करेंगे।

3. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा भी ऐसे आकस्मिक निरीक्षण समय–समय पर किए जायेंगे ।

4– उपरोक्त के संबंध में आप यह सुनिश्चित करेगें कि प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी को अपना मुख्यालय उसी स्तर का बनाना होगा जिस स्तर का वह अधिकारी है अर्थात ब्लाक स्तर के अधिकारी/कर्मचारी ब्लाक पर रहेंगे, तहसील स्तर के तहसील पर व जनपद मुख्यालय के अधिकारी मुख्यालय पर अपना कार्यालय व आवास बनायेंगे तथा नियमित तौर पर वहॉ उपस्थित रहेंगे।

उपरोक्त का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय ।

भवदीय,

(शंभु नाथ)
मुख्य सचिव